फर्द अहकाम

[illegible] बनाम कैलाश चन्द

न्यायालय SDO II, सांगानेर

संख्या 213/2024 दावा

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष हाजिर। वादी साक्ष्य पेश नहीं। साक्ष्य बंद किए जाते हैं। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार कार्यवाही कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर—द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र : 213/2024

निर्णय दिनांक : 20.3.2025

उनवान

1. रामजीलाल शर्मा पुत्र स्व.श्री रूपनाथ शर्मा, आयु 60 साल, जाति हरियाणा ब्राहमण हाल निवासी प्लॉट नंबर 21 किशान कोलोनी, मालपुरा गेट, सांगानेर, जयपुर।
2. आशा देवी पत्नी स्व. श्री रामराय शर्मा जाति हरियाणा ब्राहमण, हाल निवासी प्लॉट नंबर 31 शिव कोलोनी, मालपुरा गेट, सांगानेर, जयपुर।
3. महेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री रामराय शर्मा जाति हरियाणा ब्राहमण, हाल निवासी प्लॉट नंबर 31 शिव कोलोनी, मालपुरा गेट, सांगानेर, जयपुर।
4. सुरेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री रामराय शर्मा जाति हरियाणा ब्राहमण, हाल निवासी प्लॉट नंबर 31 शिव कोलोनी, मालपुरा गेट, सांगानेर, जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. कैलाश चंद पुत्र श्री गंगासहाय शर्मा निवासी ग्राम मानपुर टीलावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर ।
2. रामजीलाल शर्मा पुत्र श्री गंगासहाय शर्मा निवासी ग्राम मानपुर टीलावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर ।
3. रामनारायण शर्मा पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण शर्मा निवासी ग्राम मानपुर टीलावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर ।
4. रामकिशोर शर्मा पुत्र स्व. श्री रामगोपाल शर्मा निवासी ग्राम मानपुर टीलावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर ।
5. तहसीलदार, जरिये राजस्थान सरकार, तहसील सांगानेर, जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं करवाये जाने पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956</u>

वादीगण ने वाद बावत् स्थाई निषेधाज्ञा, व करवाये जाने तत्थरगढी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं करवाये जाने पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है वादीगण की खातेदारी की भूमि वाके ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है जिसके हाल खाता संख्या 98 के खसरा नं 292 रकवा 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 293 रकवा 0.98, हैक्टयर, खसरा नं 323 रकवा 0.93 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकवा 1.96 हैक्टयर है। उक्त शामलाती खातेदारी भूमि में वादी संख्या 1 हिस्सा 1/2 तथा वादी संख्या 2 लगायत 4 तक हिस्सा 1/2 अपने पूर्वजो के जमाने से उपयोग उपभोग एवं काश्त करते रहे और काविज काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त खातेदारी की भूमि वादीगण के मध्य शामलाती कब्जे काश्त में चली आ रही है। तथा वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में चली आ रही है। वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि के उत्तर—पश्चिम की ओर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की लगवा भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने उत्तर—पश्चिम की ओर वादीगण की पीले

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

रंग से दर्शित भूमि को खसरा नंबर 290, 291, 294 तथा 295 की भूमि में वादीगण के खसरा नंबर 293 एवं कुआ खसरा नंबर 292 भूमि की सीव तोड़कर करीब 10–10 फीट खातेदारी भूमि को शामिल करके पीले रंग से दर्शित भूमि को करीब 10 फीट भूमि सड़क बनाकर भूमि दबाने के उद्देश्य से कच्ची मिट्टी डाल दी है। इसप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपनी पुरानी मेड़ को छोड़कर बाउण्ड्री व कच्ची सड़क (पीले रंग से दर्शित विवादित भूमि) का निर्माण करने के लिये प्रतिवादी स्वयं की खातेदारी भूमि नंबर 290, 291, 294 तथा 295 की भूमि में अवैध रूप से शामिल कर कब्जा करने की गरज से प्रतिवादी संख्या 1 भूमाफियो से मिलकर श्रीनाथ एनक्लेव द्वितीय के नाम योजना विकसित करके भूमि को भूखण्डो में बैचान करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 शुरू से ही वादीगण को हैरान एवं परेशान करने एवं वादीगण की भूमि नक्शे में दर्शित पीले रंग की खातेदारी भूमि को दबाने पर आमादा है। तथा प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में भी वादीगण की खातेदारी को दबाने का नाजायज प्रयास एव परेशान करने पर वादीगण ने कानूनी कार्यवाही करके न्यायालय के तहसीलदार को सीमाज्ञान करने के निर्देश के तहत आदेश देने पर वादी रामजीलाल शर्मा की प्रार्थना पत्र दिनांक 25.6.2024 प्रस्तुत करके खसरा नंबर 292, 293 तथा 323 रकबा 1.96 हैक्टेयर भूमि का दिनांक 1.7.2024 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान करके सीमा चिन्ह कायम पटवारी के द्वारा मौका रिपोर्ट बनाई गई।

यह है कि प्रतिवादीगण मिन वादीगण की खातेदारी भूमि को विवादित करना चाहतें है ओर विवादित करके ओने–पौने दामों में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 खरीदकर करोडों का मुनाफा कमाना चाहते है। तथा वादीगण के मना करने पर भी नहीं मान रहे है। बल्कि वादीगण को धमकियां दे रहे है कि पूर्व में जैसे वादीगण का रास्ता बनाकर जमीन पर कब्जा करने का नाजायज प्रयास किया है ओर धमकी दी जा रही है कि खातेदारी भूमि को राजी राजी प्रतिवादी संख्या 1 की बतायेनुसार भूमि का बैचान करने का दबाव बनाया जा रहा है। अन्यथा वादीगण की भूमि को जबरन कब्जा करके आवासीय स्कीम की सडक निकालकर कोलोनी विकसित कर देगे। तथा वादीगण देखते रह जाएगे। जबकि वादीगण की कृषि भूमि पर बिना किसी अन्य का कोई हक हिस्सा व सरोकार नहीं है, और ना ही अन्य किसी व्यक्ति का ना तो कोई स्वामित्व है। उक्त खातेदारी भूमि वादीगण एवं अन्य हिस्सेदारों के अलावा और ना ही कब्जा है और इस प्रकार वादीगण अपने पूर्वजों के जमाने से उक्त खातेदारी भूमि पर निर्वाद रूप से काब्जि काश्त करते चले आ रहे है तथा वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने का अधिकार अन्य किसी व्यक्ति को नहीं है। ना ही वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करके सड़क का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। जबकि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 से निवेदन किया कि प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाकर ही अपनी भूमि में श्रीनाथ एनक्लेव द्वितीय के नाम से योजना को विकसित कर सड़क, बाउण्ड्री आदि का निर्माण करे, किन्तु अचानक मिन वादीगण की खातेदारी भूमि में जबरन 10–10 फीट अन्दर (पीले रंग सं दर्शित विवादित भूमि) तक निर्माण करके प्रतिवादी अपनी खातेदारी भूमि में शामिल कर श्रीनाथ एनक्लेव द्वितीय की कोलोनी में मिलाने पर आमादा है। दिनांक 1.7.2024 को वादीगण अपनी खातेदारी भूमि को न्यायालय के तहसीलदार सांगानेर के निर्देशानुसार भूमि के सीमाचिन्ह वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान करके सीमाचिन्ह करके पैमाईश की गई तो प्रतिवादीगण उक्त सीमाज्ञान के सीमाचिन्ह को वापस मिटा दिया है। तथा खसरा नंबर 292 एवं 293 की विवादित मेड जो पीले रंग से दर्शित भूमि पर जबरन कच्ची मिट्टी डालकर सडक बनाकर अपनी खातेदारी भूमि 290, 291, 294, 295 में शामिल करके

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

श्रीनाथ एनक्लेव द्वितीय की योजना विकसित करके वादीगण की खातेदारी भूमि को हड़पने के लिये प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने भू–माफिया एवं असामाजिक तत्व के लोगो से साठ गाठ, मिलिभगत करके वादीगण की खातेदारी भूमि की सींव को तोड़कर करीबन 10–10 फीट भूमि के अंदर कच्ची मिटठी डालकर जबरन अवैध कब्जा करने पर आमादा हो गये। तथा वादीगण के द्वारा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाकर सड़क एवं कोलोनी विकसित के लिये कहा तो प्रतिवादीगण वादीगण को धमकी दी की हम लोग हमारे हिसाब से ही सड़क बनाकर रहेगे। जिस पर वादीगण ने पुलिस थाना–मुहाना मे काफी बार शिकायत की गई परन्तु पुलिस थाना–मुहाना को भी प्रतिवादीगण ने अपने प्रभाव में ले रखा है। जिसके कारण पुलिस थानाधिकारी एवं पुलिस के लोग मिन वादीगण को जबरन झूठी मुकदमों फसाकर गिरफ्तार करने की धमकी दी गई तथा झूठी कार्यवाही करके वादीगण को पांबदी की कार्यवाही की गई। इस प्रकार पुलिस भी प्रतिवादीगण से मिलकर वादीगण को विवादित भूमि को जमीन छोड़ने का दबाव बना रही है। ओर धमकी दे रही है कि वादीगण को झूठे मुकदमें बाजी में जेल की हवा में बिठा देने की धमकी दी है। वर्तमान में प्रोपर्टी व्यवसाय के भाव आसमान छू रहे है। ओर इसी नियत से प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि को विवादित करके जबरन सड़क डालकर नाजायज कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी नियत से वादीगण की जमीन पर प्रतिवादीगण आये दिन नाजायज हैरान व परेशान करते है तथा न्यायालय के आदेशों को नहीं मानते है ओर ना ही सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करनवाने में सहयोग करते है। बल्कि वादीगण की खातेदारी भूमि को नाजायज तरीके से दबाकर वादीगण की जमीन पर सड़के बनाकर स्वयं की भूमि पर श्रीनाथ एनक्लेव द्वितीय के नाम से योजना विकसित करने पर आमादा है। इस प्रकार वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण अपराधी किस्म एवं भू–माफियां लोगों के सम्पर्क में है जो कि जमीनो पर अवैध कब्जा करने का कार्य करते है तथा वादीगण की उक्त शामलाती खातेदारी भूमि पर कब्जा करने पर आमदा है और वादीगण की सम्पति को येन केन प्रकरण हड़पने पर आमादा है। तथा वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण को समझाने की काफी चेष्टा की किन्तु उनकी नीयत में खराबी आ गई है और मन में लालच समा गया है और प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रही है और वादीगण को आये दिन उनके कब्जे एवं स्वामित्व की खातेदारी की भूमि से बेदखल करने की धमकी दे रही है कि हम धनबल, अपनी पहुंच एवं पावर से विवादित खातेदारी की भूमि से वादीगण को बेदखल कर देगें व्यक्तियों को आवटित करके कब्जा करवाकर ही दम लेगे और इसी नियत से आये दिन कानून को हाथ में लेकर प्रयास करने लगे जबकि प्रतिवादीगण न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी नही करवाई गई। एवं वादीगण के उपयोग उपभोग में दखल अंदाजी करने एवं खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करने के लिये आये दिन वादीगण को हैरान एवं परेशान करते है। इस कारण वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एवं उसके प्रतिनिधि एवं एजेन्टों आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद कराने के अधिकारी है कि वे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण नही करें और ना ही शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा कारित करे। तथा उपरोक्त भूमि का हस्तान्तरण, रहन, बेचान आदि नहीं करे और ना स्वयं करे, ना ही अपने एजेण्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि के माध्यम से करावें। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के प्रतिनिधि एवं एजेन्टो के द्वारा अपने नापाक इरादो को अंजाम देने की नीयत से वादीगण की खातेदारी भूमि पर दिनांक 21.10.2022, 4.11.2022, एवं लिखित परिवाद संख्या 1978 दिनांक 16.11.2022 एवं सीमाज्ञान दिनांक 1.7.2024 को करवाने के बाद लगातार कृषि भूमि पर कब्जा कर

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

सड़क का निर्माण करने का नाजायज प्रयास करने की धमकी देकर वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर कब्जा करने एवं वादीगण को उक्त भूमि से वंचित कर देगे एवं वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने की धमकियां देने पर आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण हैरान एवं परेशान करने एवं खातेदारी भूमि में फसल बोने आदि कार्यों में व्यवधान डालकर झूठे संगीन अपराध के मुकदमों में फसाने की धमकियो देने की शिकायत देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की। वादीगण को आशंका है कि पुलिस प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के प्रभाव में है एवं प्रतिवादी अवैध तरीके से साथ दे रहे है। कि प्रतिवादीगण को पावंद नहीं किया गया तो वादीगण की कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि से बेदखल कर कब्जा करके अपने अधिकार में लेकर उक्त खातेदारी भूमि को खुर्द–बुर्द कर देगे। इस कारण दावा पेश करना आवश्यक हो गया। प्रतिवादी को पांवद नही किया गया तो वादीगण अपने कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि से वंचित हो जायेगें और प्रतिवादी कंपनी अपने प्रभाव एवं धनबल, भुजबल के जोर पर बेदखल कर देगे और भूमि पर कब्जा करके खुर्द–बुर्द कर देगे जिससे वादीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं होगी। तथा सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है। वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि वादीगण की खातेदारी भूमि हाल खाता संख्या 98 के खसरा नं 292 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 293 रकबा 0.98. हैक्टर, खसरा नं. 323 रकबा 0.93, हैक्टर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.96 हैक्टयर भूमि से वादीगण को बेदखल ना करें ना ही कब्जे काश्त में बाधा कारित करे तथा वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करे तथा वादीगण की खातेदारी भूमि की सींच जो उत्तर–पश्चिम की ओर पीले रंग A से B दर्शित भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 290, 291, 294 तथा 295 की भूमि में वादीगण के खसरा नंबर 293 एवं कुआ खसरा नंबर 292 भूमि की सींव तोड़कर करीब 10–10 फीट खातेदारी भूमि को शामिल करके पीले रंग से दर्शित भूमि को करीब 10–10 फीट भूमि सड़क बनाकर बिना सीमाज्ञान एव पत्थरगढी करवाये वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि में अवैध एवं गैरकानूनी पुख्ता निर्माण ना करे, ना ही जबरन सडक बनाये, वादीगण की खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करे और ना ही कब्जा करें, ना ही स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट सरवेन्ट, प्रतिनिधि के माध्यम से करें तथा खातेदारी भूमि की स्थिति यथावत बनाये रखे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 290, 291, 294 तथा 295 की भूमि में वादीगण के खसरा नंबर 293 एवं कुआ खसरा नंबर 292 भूमि की सींव तोड़कर करीब 10–10 फीट खातेदारी भूमि को शामिल करके पीले रंग से दर्शित भूमि को करीब 10–10 फीट भूमि सड़क बनाकर बिना सीमाज्ञान एव पत्थरगढी करवाये वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि मे अवैध एवं गैरकानूनी पुख्ता निर्माण ना करे, ना ही जबरन सडक बनाये, वादीगण की खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण नही करे और ना ही कब्जा करें, नामी प्रतिनिधि करे, ना ही एजेन्ट, सर्वेट के माध्यम से करे। तथा उक्त खातेदारी भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब दावा पेश नही। दिनांक 07.03.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का जवाब बन्द किया जाने के आदेश दिये गये।

वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम पत्थरगढी करवाने जाने पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण जिसकी फरमाया जाकर जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण की खातेदारी भूमि हाल खाता संख्या 98 के खसरा नं 292 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नं 293 रकबा 0.98 हैक्टर, खसरा नं 323 रकबा 0.93 हैक्टर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.96 हैक्टयर भूमि से वादीगण को बेदखल ना करे ना ही कब्जे काश्त में बाधा कारित करे तथा वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करे तथा वादीगण की खातेदारी भूमि की सींव जो उत्तर–पश्चिम की ओर पीले रंग A से B दर्शित भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 290, 291, 294 तथा 295 की भूमि में वादीगण के खसरा नंबर 293 एवं कुआ खसरा नंबर 292 भूमि की सींव तोड़कर करीब 10–10 फीट खातेदारी भूमि को शामिल करके पीले रंग से दर्शित भूमि को करीब 10–10 फीट भूमि सड़क बनाकर बिना सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाये वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि में अवैध एवं गैरकानूनी पुख्ता निर्माण ना करे, ना ही जबरन सड़क बनाये, वादीगण की खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करे और ना ही कब्जा करें, ना ही स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट सरवेन्ट, प्रतिनिधि के माध्यम से करें तथा खातेदारी भूमि की स्थिति यथावत बनाये रखे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 290, 291, 294 तथा 295 की भूमि में वादीगण के खसरा नंबर 293 एवं कुआ खसरा नंबर 292 भूमि की सींव तोड़कर करीब 10–10 फीट खातेदारी भूमि को शामिल करके पीले रंग से दर्शित भूमि को करीब 10–10 फीट भूमि सड़क बनाकर बिना सीमाज्ञान एव पत्थरगढी करवाये वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि में अवैध एवं गैरकानूनी पुख्ता निर्माण ना करे, ना ही जबरन सड़क बनाये, वादीगण की खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण नही करे और ना ही कब्जा करें, नामी प्रतिनिधि करे, ना ही एजेन्ट, सर्वेट के माध्यम से करे। तथा उक्त खातेदारी भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

वादी व व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 पर गनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर ज्ञात हुआ की वाके ग्राम गानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित वादीगण की खातेदारी भूमि हाल खाता संख्या 98 के खसरा नं 292 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नं. 293 रकबा 0.98, हैक्टयर, खसरा नं 323 रकबा 0.93 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.96 हैक्टयर है। उक्त शामलाती खातेदारी भूमि में वादी संख्या 1 हिस्सा 1/2 तथा वादी संख्या 2 लगायत 4 तक हिस्सा 1/2 अपने पूर्वजो के जमाने से उपयोग उपभोग एवं काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने उत्तर–पश्चिम की ओर वादीगण की पीले रंग से दर्शित भूमि को खसरा नंबर 290, 291, 294 तथा 295 की भूमि में वादीगण के खसरा नंबर 293 एवं कुआ खसरा नंबर 292 भूमि की सींव तोड़कर करीब 10–10 फीट खातेदारी भूमि को शामिल करके पीले रंग से दर्शित भूमि को करीब 10 फीट भूमि सड़क बनाकर भूमि दबाने के उदेश्य से कच्ची मिटटी डाल दी है। और वादीगण की भूमि नक्शे में दर्शित पीले रंग की खातेदारी भूमि को दबाने पर अमादा है। वादीगण ने तहसीलदार सांगानेर को सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.6.2024 को खसरा नंबर 292, 293 तथा 323 रकबा 1.96 हैक्टेयर का प्रस्तुत किया जिसमें उक्त खसरा नम्बरान का दिनांक 1.7.2024 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान करके सीमा चिन्ह कायम पटवारी के द्वारा मौका रिपोर्ट बनाकर न्यायालय में पेश किया गया। बावजूद सीमाज्ञान के प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से अपनी भूमि में मिलाने के उद्येश्य से सीमाचिन्हि मिटा दिये ऐसी स्थिति में तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त सीमाज्ञान अनुसार पत्थगढी किया जाना व प्रतिवादीगण को बिना सीमाज्ञान करवाये वादीगण की भूमि में दखल न देने हेतु पाबंध किया जाना उचित समझते है।

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

अतः वादी की ओर से पेश दावा स्थायी निषेधाज्ञा व पत्थरगढी करवाये जाने का स्वीकार कर तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वाके राजस्व ग्राम मानपुर टीलावाला, पटवार हल्का पंवालिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–गुहाना, तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर स्थित खाता संख्या 98 के खसरा नं 292 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 293 रकबा 0.98. हैक्टयर, खसरा नं 323 रकबा 0.93 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.96 हैक्टयर कृषि भूमि का सीमाज्ञान फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 01.07.2024 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। यदि पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे बिना सीमाज्ञान करवाने वादीगण की भूमि में अनावश्यक कब्जा नही करे, बेदखल नही करे, अवैध व गैरकानूनी पुख्ता निर्माण ना करे , ना ही जबरन सडक बनाये ऐसा ना तो स्वय करें ना किसी अन्य से करावे।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर